



GST Concept and Status

The GSTC has been notified with effect from 12th sept 2016. GSTC is being assisted by a secretariat. Fifteen meetings of the GSTC have been held so far. The following major decisions have been taken by the GSTC. (1) The threshold exemption limit would be Rs. 20 lakh. For special category states enumerated in article 279 (A) of the constitution, threshold exemption limit has been fixed at Rs. 10 Lakh. (2) Composition threshold shall be Rs. 50 lakh. Composition scheme shall not be available to inter-state suppliers, service provider and specified category of manufacturers. (3) Existing tax incentive schemes of central or state governments may be continued by respective government by way of reimbursement through budgetary route. The schemes, in the present form, would not continue in GST.

DR. R. V. TANSHETTE* & MRS. SUCHITA ANNARAO PATIL**

Introduction :

The introduction of Goods and Services Tax (GST) would be a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. By amalgamating a large number of Central and State taxes into a single tax, it would mitigate cascading or double taxation in a major way and pave the way for a common national market. From the consumer point of view, the biggest advantage would be in terms of a reduction in the overall tax burden on goods, which is currently estimated to be around 25%-30%. Introduction of GST would also make Indian products competitive in the domestic and international markets. Studies show that this would have a boosting impact on economic growth. Last but not least, this tax, because of its transparent and self-policing character, would be easier to administer.

“It has been long pending issue to streamline all the different types of indirect taxes and implement a “single taxation” This system called as GST (GST is the abbreviated form of Goods & Services Tax)”

History :

The reform process of India's indirect tax regime was started in 1986 by Vishwanath Pratap Singh with the introduction of the Modified Value Added Tax (MODVAT). A single common “Goods and Services Tax (GST)” was proposed and given a go-ahead in 1999 during a meeting between then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and his economic advisory panel, which included three former RBI governors IF Patel, Bimal Jalan and C. Rangarajan, Asim Dasgupta to design a GST model.

The Ravi Dasgupta committee was also tasked with putting in place the backend technology and logistics (later came to be known as the GST Network, or GSTN, in 2017) for rolling out a uniform taxation regime in the country. In 2003, the Vajpayee government formed a task force under Vijay

Kelkar to recommend tax reforms. In 2005, the Kelkar committee recommended rolling out GST as suggested by the 12th Finance Commission.

After the fall of the BJP-led NDA government in 2004, and the election of Congress-led UPA government, the new Finance Minister P. Chidambaram in February 2006 continued work on the same and proposed a GST rollout by 1st April 2010. However in 2010, with the Trinamool Congress routing CPI(M) out of power in West Bengal, Asim Dasgupta resigned as the head of the GST committee, Dasgupta admitted in an interview that 80% of the task had been done.

In 2014, the NDA government was re-elected into power, this time under the leadership of Narendra Modi. With the consequential dissolution of the 15th Lok Sabha, the GST bill approved by the Standing Committee for reintroduction lapsed. 7 months after the formation of the Modi government, the new Finance Minister Arun Jaitley introduced the another deadline of 1st April 2016 to implement GST. In May 2016, the Lok Sabha passed the constitution amendment bill, paving way for GST. However, the opposition, led by the Congress demanded that the GST bill be again sent back to the select committee of the Rajya Sabha due to disagreements on several statements in the bill relating to taxation. Finally in August 2016 the amendment bill was passed. Over the next 15 to 20 days, 18 States ratified the GST bill and the President Pranab Mukharji gave his assent to it.

A 21 members select committee was formed to look into the proposed GST laws. State and Union Territory GST laws were passed by all the states and Union Territories of India except Jammu & Kashmir, paving the way for smooth roll out of the tax from 1st July 2017. There was to be no GST on the sale and purchase of securities. That continues to be governed by security transaction tax.

*Research Guide & Head (Department of Commerce), Shri Havagiswami Mahavidyalaya, Udgir, Dist.- Latur (Maharashtra)

**Research Student, Research Centre - Shri Havagiswami Mahavidyalaya, Udgir, Dist.- Latur (Maharashtra)

GST Network :

Goods and Service Tax Network (GSTN) has been set up by the government as a private company under erstwhile section 25 of the companies act 1956. GSTN would provide three front end services to the tax payers namely registration, payment and return. Besides providing these services to the tax payers, GSTN would be developing back-end IT modules for 27 states who have opted for the same. The migration of exiting tax payers has already started from November 2016. The revenue department of both centre and states are pursuing the presently registered tax payers to complete the necessary formalities on the IT system operated by GSTN for successful migration. About 75 percent of exiting registrants have already migrated to the GST systems.

GSTN has selected 34 IT, ITes and financial technologies companies, to be called GST Suvidha Providers (GSP's). GSP's would develop applications to be used by tax payers for interacting with the GSTN.

GST and Centre-States Financial relations :

Currently, fiscal power between the centre and the states are clearly demarcated in the constitution with almost no overlap between the respective domains. The centre has the powers to levy tax on the manufacture of goods (except alcoholic liquor for human consumption, opium, narcotics, etc) while the states have the powers to levy tax on sale of goods. In case of inter-state sales, the centre has the power to levy a tax (the central sales tax) but, the tax is collected and retained entirely by the originating states. As for services, it is the centre alone that is empowered to levy service tax. Since the states are not empowered to levy any tax on the sale and purchase of goods in the course of their importation into or exportation from India, the centre levies and collect these tax as additional duties of customs, which is in addition to the basic customs duty. This additional duty of customs counter balances excise duties, sales tax, state vat and other taxes levied on the like domestic products. Introduction of GST would require amendments in the constitutions so as to concurrently empower the centre and the states to levy and collect the GST.

The assignments of concurrent jurisdiction to the centre and the states for the levy of GST would require a unique institutional mechanism that would ensure that decisions about the structure, design and operation of GST are taken jointly by the two. For it to be effective, such a mechanism also needs to have constitutional force.

Goods and Services Tax Council (GSTC) :

The GSTC has been notified with effect from 12th sept 2016. GSTC is being assisted by a secretariat. Fifteen meetings of the GSTC have been held so far. The following major decisions have been taken by the GSTC.

(1) The threshold exemption limit would be Rs. 20 lakh. For special category states enumerated in article 279 (A) of the constitution, threshold exemption limit has been fixed at Rs. 10 Lakh. (2) Composition threshold shall be Rs. 50 lakh. Composition scheme shall not be available to inter-state suppliers, service provider and specified category of manufacturers. (3) Exiting tax incentive schemes of central or state governments may be continued by respective

government by way of reimbursement through budgetary route. The schemes, in the present form, would not continue in GST. (4) There would be four tax rates namely 5 %, 12%, 18% and 28%. The tax rates for different goods and services have been finalized. Besides, some goods and services would be under the list of exempt items. The exempted services has been finalized which is same as the services exempted under existing service tax law, except services supplied by Goods and services tax network which is the addition to the list of exempted services under service tax rate for precious metals is an exception to 'Four-Tax slab-rule' and the same has been fixed at three percent. A cess over the peak rate of 28 % on certain specified luxury and demerit goods, like Tobacco and tobacco products, pan masala, aerated waters, Motor vehicles, would be imposed for a period of 5 years to compensate states for any revenue loss on account of implementation of GST. The list of services in case of which reverse charge would be applicable has also been finalized. (5) The final laws namely GGST, UTGST law, IGST law, SGST law and GST compensation law have been recommended. (6) In order to ensure single interface, all administrative control over 90% of taxpayers having turnover below Rs. 1.5 crore would vest with State tax administrative and over 10% with the Central tax administration. Further all administrative control over tax payers having turnover above Rs. 1.5 crore shall be divided equally in the ratio of 50 percent each for the central and State tax administration. (7) Powers under the IGST act shall also be cross empowered on the same basis as under CGST and SGST Acts with few exceptions. (8) Power to collect GST in territorial waters shall be delegated by central government to the states. (9) Formula and mechanism for GST compensation cess has been finalised. (10) Nine rules of registrations, composition levy, valuation, tax invoice, input tax credit, payment, returns, refund and transitional provisions have been recommended. (11) www.gst.gov.in , managed by GSTN, shall be the common goods and services tax electronic portal. (12) Rate of Interest delayed payments and delayed refund has been recommended. (13) Rate of TCS has been recommended.

References :

(1) <http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/business-news/know-all-about-indias-biggest-tax-reform-gst/articleshow/57909199.cms> (2) http://hindi.moneycontrol.com/news/market-news/gst-beginning-of-new-tax-regime_162197.html (3) https://www.hindi.nyoooz.com/news/kanpur/tax-reduction-rate-of-66-products-in-gst-the-decision-taken-by-the-council_61223/ (4) <http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=53379> (5) <http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/80-discounts-continue-as-e-commerce-unaffected-despite-gst-rollout/articleshow/59485942.cms> 7 July 17. (6) <https://khbar.ndtv.com/news/business/tata-motors-cuts-its-price-on-vehicle-due-to-gst-1721134>. 7 July 17. (7) <http://www.cbec.gov.in/resources/htdocs-cbec/gst/gst-overview-hindi.pdf> (8) <http://www.cbec.gov.in/resources/htdocs-cbec/gst/gst-concept-status-son01052017> (9) <http://hindi.economictimes.indiatimes.com/business/tax/tax-news/gst-rollout-all-you-want-to-know-about-gst/articleshow/59385697.cms>





वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में भारत की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ

प्रस्तुत शोधपत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में भारत की उपस्थिति और स्थिति का अध्ययन किया गया है। यद्यपि यह सब आंकड़ों का खेल है। एक कुछ कहता है, दूसरा उसका खंडन करते हुए अपने हित के आंकड़ें जारी कर देता है। प्रस्तुत शोध की सामग्री वैश्विक बैंक (एचएसबीसी) की रिपोर्ट पर आधारित है। Price water house Cooper का विचार है कि - वर्ष 2050 में चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर होगा, इसका कारण इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है। इसकी निरंतरता बनी रहेगी और विकास की गति तेज होगी और विश्व में वह अपना स्थान बना लेगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, 2050 में वह दूसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चौथे स्थान पर इण्डोनेशिया का होगा। यूके खिसककर 10वें स्थान पर आ जाएगा। वहीं फ्रांस और इटली प्रथम 10 में से हटकर विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कहीं होगा। 2050 में वैश्विक अर्थव्यवस्था आज की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। दुगुना होने का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी संचार सुविधाओं का विकास और उत्पादकता होगी।

डॉ. सत्यम् सोनी

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि नोटबंदी और जीएसटी - इसके बड़े कारण हैं। माना कि शुरु में इन्हीं मुद्दों पर खूब दिक्कतें आई हैं, पर धीरे-धीरे सबकुछ पटरी पर आ गया है और विकास का भविष्य दिखाई देने लगा है। एकदम पूरा लाभ तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई आम का वृक्ष भी लगाते हैं, तो उसके अंकुर फूटने और शाखाओं के रूप लेने से यह उम्मीद तो बंध जाती है कि एक दिन उसमें मीठे फल जरूर लगेंगे।

जो भारत के विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो हैं, (1) वैश्विक बैंक-एचएसबीसी (2) आर्थिक विश्लेषकों के विश्लेषण। वैश्विक बैंक-एचएसबीसी के बारे में सभी जानते हैं कि वह यदि कुछ कहता है, तो अधिकृत ही कहता है। जो पिछले वर्षों उपलब्धियाँ या जीडीपी रहा है, वही आधार होता है।

यद्यपि छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा रखने वाले भारत के विकास की दर पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन गत वर्ष नवम्बर माह में नोटबंदी की गई थी। अर्थव्यवस्था को उस समय जोरदार झटका अनुभव हुआ था। यही कारण रहा कि वर्ष 2017 की जनवरी से मार्च की पहली तिमाही में जीडीपी 6.1 प्रतिशत पर आ गई थी। जबकि, एक वर्ष पहले अर्थात् वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान इसी जीडीपी की रफ्तार 7.9 प्रतिशत थी। भारत की जीडीपी दर 2016-17 में 7.1 प्रतिशत पर आ गई। यही कारण है कि सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जो पहचान हमें मिली थी, वह कम हुई है।

वैश्विक बैंक (एचएसबीसी) का मानना है कि भारत में स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मद पर कम खर्च किया जा रहा है, जबकि यह खर्च सिर्फ देश हित में है, किन्तु आर्थिक वृद्धि और राजनैतिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। भारत के कारोबार को आसान करने और इससे सम्बंधित पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री की मानें तो अगले करीब 10 वर्षों में भारत के विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का चमत्कार दिखाई देता है। खरीद क्षमता के आधार पर भी यह और पहले हो जाएगा। बैंक ने जनसंख्या और राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता को देश की मुख्य शक्ति बताया है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत 2028 तक 7 हजार अरब अर्थात् 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।


वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न देशों की हैसियत देखें तो जर्मनी 6000 अरब डॉलर के साथ अपने चौथे, 5000 अरब डॉलर के साथ जापान के पाँचवें नंबर पर रहने की पूरी संभावना है। यहाँ बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में भारत 2300 अरब अर्थात् 2.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था रहा है और विश्व में यह अभी पाँचवें स्थान पर अपना मुकाम बनाए हुए था। हालांकि वित्त वर्ष 2017-18 में आर्थिक वृद्धि दर जीएसटी के कारण वित्त वर्ष 2016-17 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में कम रहेगी। इसमें अगले साल से निश्चय ही सुधार की संभावना दिखाई देती है। सत्ता परिवर्तन के बाद 2017 में जीडीपी सबसे कम रही है। इस पूरे वित्त वर्ष में वृद्धि दर तीन साल के सबसे निचले स्तर 7.1 प्रतिशत पर आ गई है। मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण आर्थिक वृद्धि की गति धीमी रही है,

जबकि उसके पूर्व के वित्त वर्ष 2015-16 में देश की जीडीपी 8 फीसदी, इसके पूर्व के वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत रही थी।


इसी क्रम में कृषि क्षेत्र को देखना आवश्यक है। हमारा देश कृषि पर आधारित है। इसमें बेहतर प्रदर्शन के बावजूद 2016-17 में वृद्धि दर कम हुई है। चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2017 के जनवरी-मार्च की तिमाही 6.9 फीसदी रही। 2015 के आंकड़ों देखें तो जीडीपी वृद्धि दर के मामले में भारत में पहली बार चीन को पीछे छोड़ा था।

विश्व के सामने भारत ने जो चीन को पछाड़ा, इस परिदृश्य का प्रभाव बढ़ा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम का मानना है कि नोटबंदी के बाद नये नोटों के चलन में आ जाने से प्रगति भी होगी और अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। आगे गति और पकड़ने की पूरी संभावना है। कृषि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई है। नोटबंदी से चौथी तिमाही में निर्माण क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर इसका हुआ है। इसमें 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि 2015-16 की इसी तिमाही के आंकड़ों देखें तो इसमें 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। विनिर्माण की बात करें, तो वृद्धि 2016-17 में घटकर 7.9 प्रतिशत पर आ गई, जो इसके पूर्व के वर्षों में 10.8 प्रतिशत रही थी।

विश्व में इस समय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश :



वैश्विक संदर्भ में देखें तो जहाँ एचएसबीसी का मानना है कि भारत 2028 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वहीं आर्थिक विश्लेषक मानते हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण कठिनाइयाँ जरूर आईं, लेकिन अब सबकुछ पटरी पर आ जाने के बाद इस दिशा में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। अभी विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची देखें तो पहले स्थान पर अमेरिका आता है। यह



ग्राफ : विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश

18,100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 24.3 प्रतिशत इसकी भागीदारी है।

दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चीन आता है। 11,200 अरब डॉलर की जीडीपी वाला चीन सबसे बड़ा देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा 14.8 प्रतिशत है। इसी सूची में तीसरे क्रम पर जापान आता है। यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद करीब 4200 अरब डॉलर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी 5.9 प्रतिशत है।

जर्मनी विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथे क्रम पर आता है। जर्मनी की जीडीपी 3400 अरब डॉलर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी 4.5 प्रतिशत है। पाँचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के क्रम पर फ्रांस का स्थान है। यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी 2900 अरब डॉलर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा देखें तो 3.85 प्रतिशत की भागीदारी फ्रांस की है।

Price water house Cooper के शोध अध्ययन के अनुसार यह माना गया है कि -

- (1) वर्ष 2050 में चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर होगा, इसका कारण इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है। इसकी निरंतरता बनी रहेगी और विकास की गति तेज होगी और विश्व में वह अपना स्थान बना लेगा।
- (2) जहाँ तक भारत का सवाल है, 2050 में वह दूसरे स्थान पर होगा।
- (3) तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा।
- (4) चौथे स्थान पर इण्डोनेशिया का होगा।
- (5) यूके खिसककर 10वें स्थान पर आ जाएगा। वहीं फ्रांस और इटली प्रथम 10 में से हटकर विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कहीं होगा।

(6) 2050 में वैश्विक अर्थव्यवस्था आज की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। दुगुना होने का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी संचार सुविधाओं का विकास और उत्पादकता होगी।

यह बात और है कि संभावनाएँ तब्दील होती हैं कि नहीं, यह तो भविष्य बताएगा, किन्तु आर्थिक विकास की होड़ प्रतिस्पर्धा की भावना से जारी रही तो, जो अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, वो निश्चय ही सच हो सकती हैं।

संदर्भ :

- (1) https://www.google.co.in/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fassets.weforum.org%2Feditor%2Ffeu8_S0HTtNOQk2IGJ6z2xdMshxuDoPLsB7OUb46CHho.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2017%2F03%2Fworlds-biggest-economies-in-2017%2F&docid=wJh16QKmvD4a6M&tbnid=HTtZVEIjNmbfM%3A&vet=10ahUKEwj-n-KV4M7WAhWD0I8KHct5Cx0QMwhbKBAwEA..i&w=1600&h=1372&bih=612&biw=1236&q=world%20economy%20ranking&ved=0ahUKEwj-n-KV4M7WAhWD0I8KHct5Cx0QMwhbKBAwEA&iact=mrc&uact=8
- (2) <http://www.reuters.com> से प्राप्त एचएसबीसी बैंक की रिपोर्ट।



Source: World Bank and Visual Capitalist



म.प्र.में मूल्यवर्द्धित कर की वसूली प्रवृत्तियों का समीक्षात्मक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में म.प्र. में मूल्यवर्द्धित कर की वसूली प्रवृत्तियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। वाणिज्यिक कर के स्थान पर जब वेट लागू किया जा रहा था, तो यह प्रचारित किया गया था कि यह कर व्यवस्था उपभोक्ताओं, व्यापारियों के हित में होगी एवं वस्तुओं के मूल्य कम होंगे, किन्तु वेट लागू होने के पश्चात् यह धारणा असत्य प्रमाणित हुई। वेट में कई ऐसी वस्तुओं को शामिल कर दिया गया, जिन पर सरकार को कर नाममात्र का मिला, किन्तु विक्रेता व्यापारियों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाकर वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये। वेट क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को ही जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसमें सीमित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे। कई समस्याओं के बावजूद वेट लागू होने के पश्चात् सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश सरकार को वर्ष 2006-07 में लगभग 5600 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ था। वेट लागू होने के बाद स्व-कर निर्धारण कम्प्यूटरीकरण एवं वेट की परिधि बढ़ने से व्यापारियों को राहत मिली, वहीं वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यभार में कमी आई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेट प्रणाली प्रारंभिक वर्षों की सफलता के पश्चात् संतोषजनक परिणाम दे रही है एवं कुछ विसंगतियों को दूर किया जाए तो उत्साहजनक एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

चेतन जोशी* एवं डॉ. रमेश मंगल**

प्रस्तावना :

अप्रत्यक्ष करों के समूह में "मूल्यवर्द्धित कर" एक नवीन अवधारणा है, जिसे विश्व के न केवल विकसित अपितु विकासशील एवं पिछड़े देशों में भी अपनाया गया है। 1997 में वेट आंशिक रूप से लागू किया गया था, तब इसके अन्तर्गत घटाओं पद्धति का प्रयोग किया गया था, जिसमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर जो राशि शेष बचती है, उस पर कर आरोपित किया जाता था। 1 अप्रैल 2006 से अनिवार्य रूप से संपूर्ण म.प्र. में वेट लागू किया गया एवं वाणिज्य कर अधिनियम 1994 अप्रभावशील हो गया।

2006 में वेट लागू होने के पश्चात् कर जमा पद्धति या बीजक पद्धति प्रयोग की जाने लगी, इसमें कुल विक्रय राशि पर लागू दरों से देय कर की राशि ज्ञात की जाती है एवं क्रेता द्वारा चुकाये गए कर की कटौती दी जाती है तथा अंतर की राशि शुद्ध देय कर कहलाती है। कर निर्धारण की यह विधि सरल एवं सर्वाधिक लोकप्रिय होने से यूरोप, भारत आदि देशों में प्रयोग की जा रही है।

अध्ययन की आवश्यकता : भारत सरकार ने वेट प्रणाली लागू करते समय घोषणा की थी केन्द्रीय विक्रय कर की दरें कम करते हुए इसे क्रमशः समाप्त कर दिया जाएगा, किन्तु 2006 से व्यापारी अंतर्राज्यीय विक्रय कर केन्द्रीय विक्रय कर एवं राज्य में उसी माल के विक्रय पर मूल्यवर्द्धित कर दोनों का भुगतान कर रहा है। मूल्यवर्द्धित कर लागू करते समय यह भी प्रचारित किया गया था कि कर चोरी पर अंकुश लगेगा एवं व्यापारी स्वतः ही कर

भुगतान के लिए प्रेरित होंगे, किन्तु परिणाम विपरीत रहे हैं। यदि माल का विक्रय प्रारंभिक या किसी भी चरण में बगैर बिल के हो जाता है तो कर चोरी की संभावना बढ़ जाती है। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली अपनाते से राजस्व में वृद्धि हुई या नहीं? कर की वसूली, कर प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हुआ या नहीं? सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की गयी या नहीं? राजस्व वृद्धि के साथ-साथ करदाताओं की संख्या में वृद्धि, प्रावधानों की जटिलता का कम होना, विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा ने शोध का आधार निर्मित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) मूल्यवर्द्धित कर का म.प्र. में योगदान एवं वसूली प्रवृत्तियों का अध्ययन।

(2) मध्यप्रदेश तथा इन्दौर संभाग में वेट से वसूली के बीच घनिष्ठ धनात्मक संबंध हैं।

अध्ययन का क्षेत्र : मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियों के फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार की वाणिज्यिक कर नीतियों के परिवर्तनों, प्रभाव एवं राजस्व वृद्धि में योगदान का अध्ययन करना अपने आप में शोध का महत्वपूर्ण घटक बन जाता है, साथ ही इनसे जुड़ी समस्याओं के अध्ययन व उनके लिए सुझाव देना महत्वपूर्ण होगा। शोध का क्षेत्र मध्यप्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक संभाग इन्दौर को चुना गया है, क्योंकि सर्वाधिक मूल्यवर्द्धित कर का योगदान भी इसी संभाग से प्राप्त होता है।

*सहायक प्राध्यापक, रुकमादेवी पत्रालाल लड्डा माहेश्वरी महाविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश)

**पूर्व प्राचार्य व डायरेक्टर, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश)

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

(1) मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली अपनाने से मध्यप्रदेश के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है।

(2) मध्यप्रदेश तथा इन्दौर संभाग में वेट से वसूली के बीच घनिष्ठ धनात्मक संबंध है।

शोध प्रविधि :

यह शोध कार्य द्वितीयक एवं प्रमाणिक प्रकाशित समकों के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार साक्षात्कार एवं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर पूर्ण किया गया है। राज्य सरकार को वेट से प्राप्त राजस्व आदि द्वितीयक समंक है, जिनका संकलन इन्दौर स्थित वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्यालय से एवं उनकी वेब साईट से संग्रहित किए गए हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन :

पवन प्रसाद (2014) ने पश्चिम बंगाल में वेट के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट किया कि साधारण जनता पर करों का भार उनकी कर देय क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। समान आर्थिक क्षमता रखने वालों पर करों का भार भी समान रूप से डाला जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता के अनुसार वेट प्रणाली राज्यों के राजस्व वसूली की दृष्टि से एक बेहतर कराधान प्रणाली है।

कोमल (2013) ने वेट प्रणाली को समझने और क्रियान्वयन में थोड़ी अस्पष्टता बताई साथ ही वेट प्रणाली में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए ई-रिटर्न फायलिंग व्यवस्था का विशेष स्थान बताया। इनके अनुसार पूरे देश में कर योग्य और कर मुक्त उत्पादों की एक सूची होने से वेट प्रक्रिया में सरलता, समानता एवं पारदर्शिता लायी जा सकती है।

जयकुमार (2012) ने वेट के भारत में क्रियान्वयन एवं प्रभावों पर अध्ययन करते हुए वेट को देश के आर्थिक विकास के लिए वरदान परिलक्षित किया। वेट प्रणाली गत 50 वर्षों का सबसे बड़ा कर सुधार साबित हुआ।

रविन्द्र त्रिपाठी (2011) ने भारतीय समाज पर वेट के प्रभाव का अध्ययन करते हुए देश के विकास एवं आर्थिक उन्नति में करों से होने वाली शासकीय आय का महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट किया। इनके अनुसार इसमें अप्रत्यक्ष कर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

परिकल्पनाओं का परीक्षण :

प्रथम परिकल्पना : मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली अपनाने से मध्यप्रदेश के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है।

सारणी 1 में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर राजस्व की स्थिति इस प्रकार है वर्ष 2006 में वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य सरकार को वर्ष 2008-09 में कुल राजस्व 8472.27 करोड़ रुपये का प्राप्त हुआ और इसमें सर्वाधिक योगदान मूल्यवर्द्धित कर का रहा, जो कि 6439.35 करोड़ रुपये था। यह कुल कर राजस्व का 76.01 प्रतिशत था।

वर्ष 2009-10 में विभागीय राजस्व में पुनः अपेक्षित वृद्धि हुई एवं प्राप्त कर राजस्व का आकड़ा बढ़ कर 9416.32 करोड़ रुपये हो गया, इसमें भी सर्वाधिक योगदान मूल्यवर्द्धित कर का रहा, जिसमें यह 7299 करोड़ रुपये होकर कुल कर राजस्व का 77.51 प्रतिशत था।

वर्ष 2010-11 में राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ कर राजस्व बढ़ कर 12372.01 करोड़ रुपये हो गया। इसमें मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्त राजस्व 9679.91 करोड़ रुपये का था जो कि गतवर्ष के कुल कर राजस्व से कहीं अधिक था, साथ ही कुल राजस्व का 78.24 प्रतिशत था। यह अभी तक किसी भी पूर्व वर्षों की अभूतपूर्व वृद्धि थी।

वर्ष 2010-11 की अपेक्षित सफलता को वर्ष 2011-12 में भी लगातार कायम रखते हुए विभाग ने कुल कर राजस्व 14990.72 करोड़ रुपये प्राप्त किया, वहीं इसमें मूल्यवर्द्धित कर का योगदान 11765.09 करोड़ रुपये था, जो कि कुल राजस्व का 78.48 प्रतिशत था।

वर्ष 2012-13 में कर राजस्व के पूर्वनिर्धारित लक्ष्य को कोसों पीछे छोड़ते हुए 17672.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर

सारणी 2 : मध्यप्रदेश में प्राप्त कुल राजस्व तथा इन्दौर संभाग में प्राप्त कुल राजस्व का तुलनात्मक का अध्ययन (सहसंबंध गुणांक आधारित)

वर्ष	मध्यप्रदेश	इन्दौर
2008-09	6439.35	2748.27
2009-10	7299	3180.32
2010-11	9679.91	4251.07
2011-12	11765.09	4928.21
2012-13	14087.76	4984.95
2013-14	15812.83	5782.82
सहसंबंध गुणांक		0.973

स्रोत : मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग, इन्दौर मुख्यालय। सांख्यिकीय विभाग से प्राप्त जानकारी।

सारणी 1 : राजस्व की मर्दे (राशि करोड़ में)

क्र०	वर्ष	वेट	केन्द्रीय विक्रय कर	प्रवेश कर	वृत्ति कर	होटल व मनोरंजन कर	कुल योग	वेट का प्रतिशत
1	2008-09	6439.35	419.77	1331.44	172.14	9.56	8472.26	76.01
2	2009-10	7299	569.99	1333.19	202.08	12.06	7416.32	77.51
3	2010-11	9679.91	682.72	1745.78	217.96	45.64	12372.01	78.24
4	2011-12	11765.09	871.98	2047.57	249	57.08	14990.72	78.48
5	2012-13	14087.76	847.22	2396.18	255.21	76.31	17672.68	79.71
6	2013-14	15812.83	943.48	2579.39	274.37	87.65	19697.72	80.28

कीर्तिमान स्थापित किया साथ ही मूल्यवर्द्धित कर से 14087.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जो कुल राजस्व का 79.71 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने 19697.72 करोड़ रुपये का कर राजस्व अर्जित करते हुए राजस्व प्राप्ति के कीर्तिमानों की श्रंखला को आगे बढ़ाया वहीं मूल्यवर्द्धित कर से भी 15812.83

करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। जो ना केवल एक कीर्तिमान था बल्कि कुल राजस्व का 80.28 प्रतिशत था।

द्वितीय परिकल्पना : मध्यप्रदेश तथा इन्दौर संभाग में वेट से वसूली के बीच घनिष्ठ धनात्मक संबंध है।

सारणी 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में वेट से वसूली तथा इन्दौर संभाग में वेट से वसूली के बीच घनिष्ठ धनात्मक संबंध है, तथा यह इस बात का द्योतक है कि जिस प्रकार वेट से वसूली मध्यप्रदेश में हो रही है लगभग उसी अनुरूप इन्दौर संभाग से भी वसूली की जा रही है और इन दोनों के बीच वसूली के लेकर उचित समन्वय है।

निष्कर्ष :

(1) म.प्र. में कर राजस्व की वसूली में सर्वाधिक योगदान मूल्यवर्द्धित कर का ही होता है।

(2) 2006 में वेट लागू करते ही कर राजस्व में वृद्धि हो गई जबकि यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि राजस्व में कमी आयेगी साथ ही प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है जो इस बात का द्योतक है कि वेट लागू करना राज्य सरकार, व्यापारी वर्ग एवं उपभोक्ताओं के हित में रहा है। वर्ष 2006 में लागू करने के बाद से अब तक 3.32 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

(3) इन्दौर संभाग में मूल्यवर्द्धित कर की वसूली में गत पाँच वर्षों (2009-10 से 2013-14) में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इन्दौर संभाग में वर्ष 2009-10 में जहाँ 3180.3 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था वहीं 2013-14 में यह बढ़कर 5782.82 करोड़ रुपये हो गया अर्थात् 1.82 गुना वृद्धि दर्ज की गयी थी।

सुझाव :

(1) म.प्र. में मूल्यवर्द्धित कर से वसूली लगातार संतोषप्रद रही है किन्तु वसूली की वृद्धि दर को बनाए रखने व आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्व में वृद्धि, वसूली में वृद्धि आदि तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।

(2) व्यापारियों को पंजीयन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पंजीयन प्रक्रिया को सुगम व सरल किया जाना चाहिए।

(3) कर निर्धारण अधिकारियों व निरीक्षकों को कर वसूली की कार्यवाही से संबंधित पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए।

(4) शोध कार्य में यह पाया गया कि कर निर्धारण संबंधी प्रक्रिया एव कर की गणना व भुगतान जटिल कार्य है, साथ ही वस्तुओं पर कर की दरें भी अलग-अलग हैं। विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों में एकरूपता लाने के प्रयास करने होंगे।

(5) व्यापारियों में वेट कानून को लेकर जो भ्रमपूर्ण स्थिति है उससे कर अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कर निर्धारण एवं गणना कार्य को और अधिक सरल किया जाना चाहिए।

(6) कम्प्यूटीकरण को बढ़ावा देकर कर्मचारियों/अधिकारियों एवं व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(7) मूल्यवर्द्धित कर विकल्प जी.एस.टी. लागू किया जा चुका है, जिस पर लगातार शिक्षण-प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

उपसंहार :

वास्तव में वेट एक बिन्दु कर न होकर बहुबिन्दु कर व्यवस्था है, जिसमें विक्रय के प्रत्येक स्तर पर कर का आरोपण किया जाता

है। कई समस्याएँ होने के बावजूद वेट लागू होने के पश्चात् सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वेट प्रणाली प्रारंभिक वर्षों की सफलता के पश्चात् संतोषजनक परिणाम दे रही है एवं कुछ विसंगतियों को दूर कर दिया जाए तो उत्साहजनक एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

संदर्भ :

(1) Pawan Prasad (2014) : *Business Spectrum*, Vol. 4, No. 2, July- Dec 2014, ISSN 2249-4804.

(2) Komal : *Global Journal of Management and Business Studies*, ISSN 2248-9878, Volume 3, Number 3 (2013), pp. 277-286. <http://www.ripublication.com/gjmb.htm>

(3) Jai Kumar : *World Journal of Social Sciences* Vol. 2, No. 5, August 2012, Special Issue, Pp.145-160.

(4) Tripathi, Ravindra ; Sinha, Ambalika and Agarwal, Sweta : *Department of Humanities and Social Sciences, Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, India.*

(5) *Administrative Report 2012-13 : वाणिज्यिक कर विभाग म.प्र., इन्दौर मुख्यालय।*

(6) डॉ. मेहरा एवं गोयल : *म.प्र.वाणिज्यिक कर, साहित्य भवन, आगरा।*

(7) मेहरोत्रा, डॉ.एच.सी. एवं अग्रवाल, प्रो.वी.पी. : *अप्रत्यक्ष कर, साहित्य भवन, आगरा।*

(8) डॉ. कोठारी : *अनुसंधान प्रक्रिया, साहित्य भवन, आगरा।*

(9) हजेला, तिलक नारायण : *राजस्व, किताब घर, आगरा।*

(10) www.mptax.net

(11) www.mptax.org

(12) www.taxmann.com

(13) www.icsi.edu.

(14) www.charteredclub.com

(15) www.allindiataxes.com

